|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

01– शमशेर खां पुत्र श्री दीना खां, जाति मेव उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर
–वादी

बनाम

01– मोरमल पुत्र श्री रमजानी, जाति मेव उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम खेडका, तहसील व जिला अलवर

02– विश्वबन्धु पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर
प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– दिनांकः 21.04.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादी का विवादित आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 33 ऐयर, 264 रकबा 2 ऐयर, 265 रकबा 61 ऐयर, 266 रकबा 36 ऐयर, 267 रकबा 1 ऐयर, 268 रकबा 53 ऐयर, 269 रकबा 50 ऐयर, 271 रकबा 13 ऐयर, कुल किता 8 रकबा 2.49 है० वाके ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर में कोई हक व हिस्सा किसी तरह का नही है ना उसका राजस्व अभिलेख में कही नाम है कानूनन इकरारनामा के आधार पर कोई व्यक्ति ना तो खातेदार हो सकता है ना उसे कोई खातेदारी हकूक प्राप्त हो सकते है तथा रिकार्डेड खातेदार के अलावा कोई भी शख्स चाहे वो अवैध रूप से कब्जेदार भी क्यो ना हो तकसीम का दावा नही ला सकता है। यद्यपि वादी विवादित आराजी से गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स है, इसलिये वादी कानूनन मजाजदावी नही है, वादी का वाद कानूनन कतई चलने योग्य [illegible] इसी स्तर पर दावा वादी काबिल खारिज है। वादी विवादित आराजी का न [illegible] है न ही गैर खातेदार है । वादी ने स्वयं को विवादित आराजी का तथाकथित इकरारनामा दिनांक 26.06.2013 के द्वारा खरीदार बताकर व तथाकथित इकरारनामा को आधार बनाकर

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:38:47 IST
Reason: SelfAttested

...दायर किया है जबकि वादी को तथाकथित हुक्मनामा की पालना के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। कथित तथाकथित हुक्मनामा के आधार पर वादी को विवादित आराजी का खातेदार नहीं माना जा सकता और न वादी ने स्वयं वादी के स्वयं को खातेदार घोषित करने के लिए घोषणा वाद दायर किया। अपितु वाद तकसीम खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है अर्थात सीधे ही तकसीम का दावा दायर किया है। जबकि वादी को इस तरह का वाद दायर करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नही है ओर काबिल खारिज है। विवादित आराजी के तकसीम का दावा प्रार्थी (प्रतिवादी) ने विश्वबन्धु बनाम गोरमल वगै० अदालत श्रीमान में पेश किया हुआ है। ऐसी स्थित में वर्तमान दावा चलने योग्य नही है। विवादित आराजी के दीगर सहकाश्तकार खातेदार आसमदीन पुत्र सफेदा, कासमदीन पुत्र सफेदा जन्नी पत्नी रमजानी, मकसूदन पुत्री सफेदा, मुबिना पुत्री सफेदा व सल्ली पत्नी सफेदा भी है, जिनका राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है किन्तु उन्हे दावा हाजा में पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थित में वादी का दावा चलने योग्य नही है, काबिल खारिज है। वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। नकल वकील वादी को दिलाई गई।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर, वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र का विरोध कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का वकील वादी द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया है।

आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना–
वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगा।

क– जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

ख– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्य[illegible] किया गया है। ओर वादी मूल्यांक[illegible] ठीक कर[illegible] न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये[illegible] पर उस [illegible] न्यायालय से नियत किया है ऐसा करने में असफ[illegible] रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

CamScanner

ग— जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकण किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है। ऐसा करने में असफल रहता है।

घ— जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ङ— जहां यह दो प्रतियों में नही भरा गया है।

च— जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों की अनुपालना में असफल रहता है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के 'घ' में वर्णित जहां वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जावेगा। वर्तमान वाद इकरारनामा के आधार पर लाया गया है जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का ना होकर सिविल न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी उक्त वर्णित बिन्दुओं के अनुसार, साबित होने पर हम, वाद वादी खारिज करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार स्वीकार किया जाता है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:38:47 IST
Reason: SelfAttested

CS CamScanner